प्रेस नोट मद संख्या.....7.........

विषयः आबकारी नीति वर्ष 2024-25 के प्रख्यापन के संबंध में।

मादक वस्तुओं के निर्माण, परिवहन, आयात, निर्यात, बिक्री एवं कब्जे में रखे जाने संबंधी गतिविधियों को विनियमित एवं नियंत्रित करते हुये प्रदेश के वितीय संसाधनों की वृद्धि करने, उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर गुणवत्ता पूर्ण मदिरा उपलब्ध कराये जाने, निवेश को प्रोत्साहन देने, राज्य को आत्मनिर्भर उत्पादक राज्य बनाये जाने, कृषि उत्पादों को नष्ट होने से बचाते हुये किसानों की आय में वृद्धि करने और रोजगार सृजन के अवसर प्रदान करने, मदिरा पान को जिम्मेदार एवं सुरक्षित सीमा में रखे जाने, लिकर माफियाओं के प्रभुत्व को समाप्त करते हुये दुकानों के आवंटन में पूर्ण पारदर्शिता तथा निष्पक्षता लाने और आवंटन प्रक्रिया में मानव हस्तक्षेप समाप्त किये जाने, प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर ईज आफ डूइंग बिजनेस एवं गुड गवर्नेन्स को बढ़ावा मिल देने, धनराशियों का अंतरण डिजिटल माध्यम से कराये जाने, अवैध मदिरा के निर्माण/विक्रय पर पूर्ण नियंत्रण किये जाने, राजस्व क्षति एवं चोरी को रोकते हुये विकासोन्मुख सरकारी परियोजनाओं के पर्याप्त वितपोषण हेतु अधिकतम राजस्व का अर्जन एवं आबकारी नीति को आकर्षक बनाते हुये मदिरा व्यवसाय को स्थायित्व प्रदान करने आदि उद्देश्यों के दृष्टिगत आबकारी नीति वर्ष 2024-25 प्रख्यापित की जा रही है, जिसके मुख्य प्राविधान निम्नवत हैं:-

(1) वर्ष 2023-24 में देशी मदिरा की तीव्रता एवं प्रकार के आधार पर प्रचलित श्रेणियों के स्थान पर वर्ष 2024-25 में देशी मदिरा की निम्नांकित श्रेणियां रखी जायेंगी:-

(क) शीरा से निर्मित ई.एन.ए. आधारित 36 प्रतिशत वी./वी. (मसाला) 200 एम.एल. की धारिता की कॉच, पेट की बोतलों तथा एसेप्टिक ब्रिक पैक में।

(ख) शीरा से निर्मित ई.एन.ए. आधारित 25 प्रतिशत वी./वी. (सुवासित) 200 एम.एल. की धारिता की कॉच, पेट की बोतलों तथा एसेप्टिक ब्रिक पैक में।

(2) यू.पी.एम.एल. जिसकी बिक्री देशी मदिरा दुकानों से ही अनुमन्य होगी, की निम्नांकित श्रेणियां वर्ष 2024-25 हेतु निर्धारित की गयी हैं:-

(क) ग्रेन ई.एन.ए. आधारित 42.8 प्रतिशत वी./वी. (मसाला) 200 एम.एल. की धारिता की कॉच, पेट की बोतलों तथा एसेप्टिक ब्रिक पैक में।

(ख) ग्रेन ई.एन.ए. आधारित 36 प्रतिशत वी./वी. (मसाला)200 एम.एल. की धारिता की कॉच, पेट की बोतलों तथा एसेप्टिक ब्रिक पैक में।

(3) वर्ष 2024-25 हेतु वर्ष 2023-24 के व्यवस्थित वार्षिक एम.जी.क्यू. पर 10% प्रतिशत की वृद्धि कर देशी मदिरा दुकानों का एम.जी.क्यू. निर्धारित किया जाएगा। देशी मदिरा की फुटकर दुकानों की बेसिक लाइसेंस फीस की दर रु.32/- प्रति बल्क लीटर वार्षिक एम.जी.क्यू. के आधार पर निर्धारित की गयी है।

(4) वर्ष 2024-25 हेतु 36 प्रतिशत तीव्रता की देशी मदिरा अथवा यू.पी.एम.एल. के संदर्भ में प्रतिफल फीस/लाइसेंस फीस की दर रु. 254/- प्रति बल्क लीटर निर्धारित की जाती है।

(5) वर्ष 2024-25 के लिये यू.पी.एम.एल. एवं देशी मदिरा की एम.आर.पी. रूपया 5/- के अगले गुणक में रखी जायेगी।आगणित एम.आर.पी. और रूपया 5/- के अगले गुंणक में निर्धारित एम.आर.पी. के अंतर को अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के रूप में वसूला जायेगा।

(6) विदेशी मदिरा, बीयर, भांग, माडल शाप दुकानों की वर्ष 2024-25 हेतु वार्षिक लाइसेंस फीस वर्ष 2023-24 की वार्षिक लाइसेंस फीस पर 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुये निर्धारित की जाती है। वर्ष 2024-25

हेतु भारत निर्मित विदेशी मदिरा (आई.एम.एफ.एल.) एवं बीयर की प्रतिफल फीस एवं एम.आर.पी. का निर्धारण यथावत रखा गया है।

(7) एफ.एल.-3 ए की फ्रैंचाइजी फीस विदेशी मदिरा के मामले में रु. 4.00 प्रति लीटरनिर्धारित किया गया है। बीयर के मामले में फ्रैंचाइजी फीस रु. 1.00 प्रति लीटर निर्धारित की गयी है।

(8) अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित एल.ए.बी. की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन BWFL-2D की लाइसेंस फीस में वृद्धि की गयी है। वर्ष 2024-25 में बोतलों में आयातित विदेशी मदिरा पर आयात अनुज्ञा पत्र फीस रु.12/- प्रति बल्क लीटर ली जाएगी। माल्ट स्प्रिट, एच.बी.एस. स्पेशल स्प्रिट आदि के बल्क में आयात पर रु.25.0/-प्रति बल्क लीटर आयात अनुज्ञा पत्र फीस ली जाएगी। विदेशी मदिरा (माल्ट स्प्रिट, एच.बी.एस. स्पेशल स्प्रिट आदि को छोड़कर) अथवा ग्रेन ई.एन.ए. के आयात पर रू. 12/- प्रति बल्क लीटर आयात अनुज्ञा पत्र फीस ली जायेगी।

(9) वर्ष 2024-25 में प्रीमियम एवं उससे ऊपर की श्रेणियों की विदेशी मदिरा की बिक्री 60 एम.एल. एवं 90 एम.एल. की धारिता की शीशे की बोतलों के साथ-साथ सिरोंग पैक में भी अनुमन्य होगी।

(10) किसी बार अनुज्ञापन परिसर से संबंधित भवन के दूसरे परिसर/टेरेस में बार अनुज्ञापी द्वारा अपने अतिरिक्त बार काउंटर की स्थापना हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा प्रकरण का परीक्षण करते हुये इसकी स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी। इस हेतु बार अनुज्ञापन की लाइसेंस फीस का 25 प्रतिशत या रु. 2,50,000/-(दो लाख पचास हजार मात्र) जो अधिक हो, शुल्क लिया जायेगा। कतिपय श्रेणी वाले क्षेत्रों में एफ.एल.-7 बार अनुज्ञापन और एफ.एल.-7ए क्लब बार अनुज्ञापन की फीस में वृद्धि की गयी है। इवेंट बार/समारोह बार लाइसेंस की कार्यावधि आवेदक द्वारा विनिश्चित करते हुये आवेदन पत्र में इसे अंकित किया जायेगा परन्तु यह अवधि अधिकतम 12 घंटे ही होगी और रात्रि 12 बजे तक ही होगी।

(11) वर्ष 2024-25 में बार अनुज्ञापन एवं माइक्रो ब्रिवरी का अनुज्ञापन एक साथ आवेदित करने पर बार अनुज्ञापन एवं माइक्रोब्रिवरी की सम्मिलित लाइसेंस फीस में रू.1,00,000/-(एक लाख मात्र) की छूट प्रथम वर्ष में प्रदान की जायेगी।

(12) वर्ष 2024-25 में भारत में निर्मित वाइन (जिसमें नियमानुसार अनुमन्य अन्य प्रकार की वाइन के अतिरिक्त साइडर और पेरी भी सम्मिलित माने जायेंगे) पर आयात शुल्क, रु.04/- प्रति ब.ली. रखा गया है।

(13) वर्ष 2024-25 हेतु कांच की बोतलों और एल्युमीनियम कैन में ही वाइन एवं एल.ए.बी. की आपूर्ति अनुमन्य होगी। कैन में आपूर्ति इस प्रतिबंध के साथ अनुमन्य की जायेगी कि शेल्फ लाइफ मात्र 09 माह ही होगी एवं संबंधित उत्पादक की ओर से लेबिल पर बड़े अक्षरों में शेल्फ लाइफ अंकित की जायेगी। संबंधित उत्पादकों द्वारा कैन में आपूर्ति हेतु उपयुक्तता का प्रमाण पत्र सीएफ.टी.आर.आई मैसूर के निदेशक की ओर से न्यूनतम 12 माह का प्रस्तुत करना होगा।

(14) कम तीव्रता के मादक पेय की एम.आर.पी. व प्रतिफल फीस के निर्धारण हेतु नवीन सूत्र निधारित किया गया है।

(15) बीयर दुकानों हेतु उपभोग की सुविधा, आनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरांत जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अनुमन्य की जायेगी परन्तु इस हेतु न्यूनतम100 वर्ग फीट का पृथक परिसर(परमिट रूम) दुकान के 20 मीटर की परिधि के अंदर होना चाहिये। परमिट रूम की सुविधा हेतु रु.5000/- शुल्क वित्तीय वर्ष अथवा वित्तीय वर्ष के किसी भाग के लिये लिया जायेगा। परमिट रूम में कैंटीन की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

(16) प्रत्येक फुटकर दुकान पर डिजिटल पेमेंट की सुविधा रखना अनिवार्य होगा।

(17) माइक्रो ब्रिवरी द्वारा उत्पादित बीयर पर प्रतिफल शुल्क की दर वर्ष 2024-25 में रु.100/- प्रति ब.ली. निर्धारित किया गया है।

(18) सक्षम स्तर से अनापत्ति प्राप्त होने पर हवाई अड्डों और मेट्रो स्टेशन/रेलवे स्टेशन के अंदर भी प्रीमियम रिटेल वेण्ड अनुमन्य होंगे। ऐसी दुकानों का प्रवेश एवं निकास द्वार मुख्य भवन के अंदर से होगा।

(19) बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापी यदि किसी अन्य नगर निगम के जनपद अथवा मण्डल मुख्यालय के जनपद में भी अनुज्ञापन लेना चाहता है तब उसे बी.आई.ओ.-1 ए अनुज्ञापन स्वीकृत किया जायेगा जिसकी लाइसेंस फीस रु.5,00,000/- होगी। इस लाइसेंस को बी.आई.ओ.-1 की समस्त सुविधायें प्राप्त होंगी।

(20) समुद्रपार आयातित एल.ए.बी. की एम.आर.पी. के निर्धारण हेतु नवीन सूत्र निर्धारित किया गया है।

(21) वर्ष 2024-25 हेतु भांग की अन्य प्रांतों हेतु निर्यात फीस को रु.30/- प्रति किलोग्राम रखा गया है। वर्ष 2023-24 में भांग की थोक आपूर्ति के संबंध में की गयी व्यवस्था को वर्ष 2024-25 में इस संबंध में कोई नवीन व्यवस्था लागू होने तक यथावत रखा गया है। भांग की थोक आपूर्ति हेतु आपूर्तकों के चयन और प्राप्त दरों का अनुमोदन आबकारी आयुक्त द्वारा किया जायेगा।

(22) वर्ष 2024-25 में, वर्ष 2023-24 में व्यवस्थित देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, माडल शॉप, भांग, की कुल दुकानों के 3 प्रतिशत तक के समतुल्य दुकानों के सृजन का अधिकार आबकारी आयुक्त, उ.प्र. को दिया गया है। इससे अधिक की आवश्यकता पड़ने पर शासन की अनुमति से नई दुकानों का सृजन किया जा सकेगा।

(23) वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु भी फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन नवीनीकरण के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

(24) प्रतिभूति का अंतर निर्धारित अवधि तक न जमा करने पर रु 2000/- प्रति दिवस की दर से अर्थ दण्ड आरोपित होगा। अर्थ दण्ड सहित मात्र 15 दिवस की अवधि प्रतिभूति का अंतर जमा करने हेतु अनुमन्य होगी और इस अतिरिक्त अवधि में भी प्रतिभूति का अंतर जमा न करने पर नवीनीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।

(25) थोक अनुज्ञापनों (सी.एल.-2, एफ.एल.-2, एफ.एल.-2बी) का नवीनीकरण किया जायेगा। वर्ष 2024-25 हेतु थोक अनुज्ञापनों (सी.एल.-2, एफ.एल.-2, एफ.एल.-2बी) की नवीनीकरण फीस रूपया 1,50,000/-निर्धारित की गयी है। थोक अनुज्ञापनों के नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर प्रासेसिंग फीस देय नहीं होगी।

(26) वर्ष 2024-25 में किसी ब्राण्ड के पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु ट्रेड मार्क पंजीकरण प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा।

(27) एथेनाल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के अंतर्गत आयल मिक्सिंग डिपोज़ को एथेनाल की आपूर्ति के लिये परमिट प्राप्त करने हेतु आनलाइन प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु रू. 5,000/- प्रासेसिंग फीस ली जाएगी।

(28) बोतल में भरी भारत निर्मित विदेशी मदिरा और बीयर के देश के बाहर निर्यात की अनुमति हेतु ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन पत्रों की प्रासेसिंग फीस रूपया 5,000/- निर्धारित की गयी है।

(29) बल्क स्प्रिट के आयात की अनुमति हेतु ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन पत्रों की प्रासेसिंग फीस रूपया 5,000/- निर्धारित की जाती है। बल्क स्प्रिट के निर्यात (राज्य के बाहर परन्तु देश के अंदर) की अनुमति हेतु ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन पत्रों की प्रासेसिंग फीस रु 2000/- निर्धारित की गयी है।

(30) त्रुटिपूर्ण कोषागार शीर्षक में जमा किये गये चालानों की धनराशि को सही शीर्षक में पोर्टल पर प्रविष्टि कराने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के साथ रु.1000/- का प्रासेसिंग फ़ीस के रूप में जमा किया गया चालान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(31) प्रीमियम रिटेल वेण्ड पर विक्रय हेतु अनुमन्य एसेसरीज़ में टानिक वाटर और काकटेल मिक्सर्स सम्मिलित होंगे परन्तु ऐसे नान एल्कोहलिक पेय पदार्थ अनुमन्य नहीं होगें जिनके ब्राण्ड के नाम, पैकिंग, लेबिल आदि किसी मदिरा ब्राण्ड से मिलते जुलते हों और उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने की

संभावना हो। विवाद की स्थिति में आबकारी आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा। माडल शॉप पर भी उक्त एसेसरीज़ की बिक्री अनुमन्य होगी।

(32) देशी मदिरा की नवीनीकृत फुटकर दुकानों पर दिनांक 01.04.2024 को उपलब्ध अवशेष देशी मदिरा स्टाक को दिनांक 05.04.2024 तक बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है तत्पश्चात अवशेष स्टाक को जिला आबकारी अधिकारी व स्थानीय उप जिला कलेक्टर की संयुक्त समिति द्वारा वीडियोग्राफी कराते हुये नष्ट कर दिया जायेगा।

(33) विदेशी मदिरा व बीयर की फुटकर दुकानों, मॉडल शॉप्स, प्रीमियम रिटेल वेण्ड्स, बार, क्लब एवं समस्त जिला स्तरीय थोक अनुज्ञापनों और बाण्ड अनुज्ञापनों, एफ.एल-1/एफ.एल.-1ए अनुज्ञापनों और बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापनों जिनका वर्ष 2024-25 हेतु नवीनीकरण हुआ है पर वर्ष 2022-23 के पूर्व निर्मित समस्त उपलब्ध अवशेष स्टाक को उप आबकारी आयुक्त प्रभार की देख रेख में, जिला आबकारी अधिकारी व स्थानीय उप जिला कलेक्टर की संयुक्त समिति द्वारा वीडियोग्राफी कराते हुये, नष्ट कर दिया जायेगा।

(33) रूपया 3,000/- से अधिक एम.आर.पी.(प्रति बोतल) वाले भारत निर्मित विदेशी मदिरा के स्कॉच एवं सिंगल माल्ट ब्राण्डों की प्रदेश में बिक्री को प्रोत्साहित करने हेतु बी.डब्लू.एफ.एल.-2एए लाइसेंस भी प्रदान किये जायेंगे। बी.डब्लू.एफ.एल.-2एए लाइसेंस की लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति बी.डब्लू.एफ.एल.-2ए की लाइसेंस फीस की 60 प्रतिशत के बराबर होगी।

(34) पुलिस अथवा अन्य किसी संस्था द्वारा किसी भी फुटकर मदिरा/भांग दुकान अथवा थोक अनुज्ञापन का संचालन बिना लाइसेंस प्राधिकारी की पूर्वानुमति के बंद नहीं किया जायेगा अथवा उसे सील नहीं किया जायेगा। आबकारी विभाग के अधिकारी अथवा लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को छोड़ कर अन्य किसी अधिकारी द्वारा अनुज्ञापित परिसर का निरीक्षण बिना लाइसेंस प्राधिकारी की अनुमति के नहीं किया जायेगा। आबकारी विभाग के अधिकारी और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किये जाने वाले निरीक्षणों को छोड़ कर प्रत्येक निरीक्षण कार्यवाही की अनिवार्यत: वीडियोग्राफी करायी जायेगी।

(35) विदेशी मदिरा उत्पादक आसवनियों, यवासवनियों और द्राक्षासवनियों में पर्यटकों को भ्रमण कराया जाना और ब्राण्ड की टेस्टिंग कराया जाना अनुमन्य होगा। इस हेतु रु.50,000/- आसवनी से, रु. 25,000/- यवासवनियों से शुल्क लिया जायेगा। द्राक्षासवनियों से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(36) किसी आसवनी में अधिष्ठापित क्षमता का संपूर्ण उपभोग हो जाने के पश्चात विशेष परिस्थितियों में बल्क स्प्रिट क्रय करके अधिष्ठापित क्षमता से अधिक मदिरा निर्माण की अनुमति आबकारी नीति वर्ष 2024-25 के प्रख्यापन की तिथि से इस प्रतिबंध के साथ आबकारी आयुक्त द्वारा प्रदान की जा सकेगी कि अधिष्ठापित क्षमता से अधिक निर्मित मदिरा पर दोगुनी दर से लाइसेंस फीस देय होगी। यह सुविधा आसवनी को अपनी क्षमता विस्तार/नवीन इकाई की स्थापना आदि का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से दी जा रही है और यह सुविधा एक बार ही प्रदान की जायेगी।

(37) वर्ष 2024-25 के लिये अनुमानित राजस्व रु.50,000/- करोड़ रखा गया है।